न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी	:	श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या	:	72/2020
3. उनवान	:	सरकार जरिये राजेश कुमार टांक प्रवर्तन निरीक्षक बनाम मैसर्स ओम पवित्र भोजनालय, पंचायतीराज धर्मशाला के पास, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर मालिक श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी जयपुर।
4. निर्णय दिनांक	:	15.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम	:	अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से। ब) श्री मनोज शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि श्री विजय चतुर्वेदी एवं पंचायती धर्मशाला रेल्वे स्टेशन जयपुर द्वारा घरेलू गैस का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत करने पर अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर दिनांक 20.01.2020 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध रुप से काम में लिये जा रहे 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसी) मय एलपीजी 18.900 किग्रा. को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 11.03.2022 को अधिवक्ता श्री मनोज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 13.05.2022 को अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया, जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जब्त सिलेण्डर को घर में उपयोग हेतु डिलीवरी मैन द्वारा घर के पास ही स्थित प्रतिष्ठान पर डिलीवरी देना बताया। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं लिया जा रहा था, अप्रार्थी के पास प्रतिष्ठान पर वाणिज्यिक गैस कनेक्शन है। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उन्हें ही अंतिम बहस हेतु स्वीकार करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा दोनों पक्षों की बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.01.2020 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर जांच कार्यवाही कर कुल 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसी) मय एलपीजी 18.900 किग्रा. जिनमें से एक सिलेण्डर जो कि भोजनालय में भट्टी से लगा हुआ पाया गया जिस पर सब्जी बनायी जा रही थी। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके स्वामित्व, संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के कनेक्शन की भी प्रति पेश नहीं की गई है ना ही वाणिज्यिक सिलेण्डर के गैस कनेक्शन की प्रति पेश की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का घर के बजाय व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डिलीवरी देने का कथन भी संदेहास्पद है। साथ ही सिलेण्डर भट्टी से लगाकर उपयोग करना पाया गया था इसी कारण एक सिलेण्डर में गैस भी कम पाई गई। उक्त तथ्यों से घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हम जब्त सिलेण्डरों को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (एचपीसी) मय एलपीजी 18.900 किग्रा. शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर